

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1714
जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है
दावणगेरे में सड़कों पर जाम

1714. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एसएस अस्पताल, दावणगेरे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-48 की 253.47 किमी शृंखला में संकरे अंडरपास पुल, जिसमें से प्रतिदिन लगभग 166 केएसआरटीसी बसें और 382 भारी वाहन होकर गुजरते हैं, से उत्पन्न होने वाली भीड़-भाड़ और यातायात संबंधी खतरों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एसएस आयुर्विज्ञान संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, जो प्रतिदिन 1000-1500 बहिरंग रोगी विभाग के रोगियों और अनेक आपातकालीन मामलों को संभालता है, की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस अंडरपास तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने और इसके कारण होने वाले यातायात संबंधी विलंब को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस उपमार्ग को चौड़ा करने से यातायात की आवाजाही, यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं में कमी लाने पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इस अड़चन को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना और समय-सीमा है; और

(ङ) क्या सुगम माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण उपमार्ग को चौड़ा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जाएंगे?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) जी, हां। उल्लिखित स्थान किमी 257.450 (आकार 2 x 4 मीटर x 4.5 मीटर) पर स्थित है और यह किमी 253.470 पर स्थित नहीं है, जिसमें हल्का वाहन अंडरपास (एलवीयूपी) का निर्माण किया गया है। ट्रैफिक जाम पीक ऑवर्स के दौरान होता है, जिसका मुख्य कारण बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही में एलवीयूपी का उपयोग करना है जिसे ट्रकों और बसों जैसे भारी वाहनों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ट्रकों और बसों की आवाजाही के लिए किमी 259.700 पर 2 x 10.5 मीटर x 5.5 मीटर के आकार के एक वाहन अंडरपास (वीयूपी) मुहैया कराया गया है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार ने पहले ही स्थान का विश्लेषण कर लिया है तथा भारी वाहनों की अनधिकृत आवाजाही को रोकने के लिए एल.वी.यूपी. पर किमी 257.450 पर 3.5 मीटर की ऊंचाई प्रतिबंध वाले अवरोधक लगाने की योजना बना रही है।